प्रेस विज्ञप्ति

देश भर में खाद्य तेलों)Edible Oils) में मिलावट रोकने और खाद्य तेलों की शुद्धता जांचने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)FSSAI) ने देशव्यापी अभियान की शुरूआत की है। 1 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान के तहत खाद्य तेलों में मिलावट की जांच, हाइड्रोजनीकृत तेलों में ट्रांस फैटी एसिड की मौजूदगी एवं खुले खाद्य तेल की बिक्री पर नकेल लगाने की कोशिश जारी है। वहीं बिना उचित लेबल के खाद्य तेलों की बिक्री पर भी रोक लगाई जा रही है।

एफएसएसएआई के इस अभियान के तहत देश के 27 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से खाद्य तेल, वनस्पति एवं बहु स्रोत खाद्य तेलों के 2583 नमूने निरीक्षण के लिए एकत्रित किए है । वहीं करीब 26 लाख मूल्य की 20272 लीटर खुले खाद्य तेल को विभिन्न जगहों से जब्त किया गया।

निरीक्षण के लिए एकत्रित किए गए नमूनों की जांच के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षण में फेल हुए नमूनों को विनियामक के आधार संबंधित फूड बिजनस ऑपरेटर्स के खिलाफ भारतीय खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खाद्य तेलों में मिलावट के खिलाफ यह अभियान 14 अगस्त तक जारी रहेगा।

मीडिया के प्रश्नों के लिए संपर्क करें:

रुचिका शर्मा

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

ई: sharmaruchika.21@gmail.com